

**संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास**  
**म.प्र.भोपाल**

क्रमांक/यां.प्र./2012/ 3136

भोपाल, दिनांक 9/7/2012

प्रति,

मेसर्स ए टू जेड इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड,  
ट्रेनिंग ग्राउन्ड, नेमावर रोड,  
इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- मेसर्स ए टू जेड इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, ट्रेनिंग ग्राउन्ड, नेमावर रोड, इन्दौर पर प्रस्तावित वेस्टेज प्लान्ट प्रयोजन हेतु 9.00 मीटर ऊँचे भवन के लिये "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय किये जाने के संबंध में।

संदर्भ-आपका पत्र दिनांक 26.04.2012 ।

विषयान्तर्गत मेसर्स ए टू जेड इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, ट्रेनिंग ग्राउन्ड, नेमावर रोड, इन्दौर पर प्रस्तावित वेस्टेज प्लान्ट प्रयोजन हेतु 9.00 मीटर ऊँचे भवन के लिये "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" चाही गई है।

भवन मालिक/व्यवसाई के द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट-4 तथा भूमि विकास नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार फायर व्यवस्था हेतु नियम 17(6) (दो) (तीन) के तहत फायर फायटिंग स्कीम/टेक्नीकल राइटप प्रस्तुत किया गया है। भूमि विकास नियम 1984 नियम 26 में उल्लेखित आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित जानकारी भी प्रस्तुत की गई है।

भवन मालिक द्वारा बहुमंजिला भवनों के लिये निर्धारित अग्निसुरक्षा संबंधी 53 बिन्दुओं/एनेक्चर-ए पर जानकारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्तानुसार फायर फायटिंग स्कीम/प्लान के नक्शों में तकनीकी जानकारी प्रदान की गई है तथा भवन में स्थापित की जाने वाली अग्निशमन व्यवस्था नियमों/प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य किये जाने हेतु लिखित में सहमति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त भवन/बहुमंजिला भवन हेतु चाही गई एनओसी निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं व लिखित शर्तों के अधीन दी जाती है।

1. निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य है :-

- 1- Access.
- 2- Wet Riser.
- 3- Down Comer.
- 4- Hose Reel.
- 5- Automatic Sprinkler System.
- 6- Yard Hydrant.
- 7- U.G. Tank with Draw off Connection.
- 8- Terrace Tanks.
- 9- Fire Pump.
- 10- Terrace Pump.
- 11- First Aid Fire Fighting Appliances.
- 12- Pressurization System.
- 13- Auto Detection System.
- 14- Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- 15- P.A. System with talk back facility.
- 16- Emergency Light.
- 17- Auto D.G. Set.

- 18- Illuminated Exit Sign.
- 19- Means of Escape.
- 20- Compartmentation.
- 21- MCB/ELCB.
- 22- Fireman Switch in Lift.
- 23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
- 24- Refuge Area.

उपरोक्त 24 बिन्दुओं के आधार पर (नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट-4, के टेबल 23 के संबंधित मानकों के आधार पर) समस्त फस्ट एड एवं फिक्स्ड फायर फायटिंग व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट-4, भूमि विकास नियम 1984, एवं भारतीय मानक संहिता में पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर करना अनिवार्य होगा।


2. नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के प्रावधान अनुसार भवन के चारों ओर कम से कम 6.0 मीटर खुली जगह एवं अन्य प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर के पत्र क्र. 2113 दिनांक 30.04.2011 में निर्धारित/उल्लेखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा।

अतः विषयाकित भवन में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के तहत "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय किया जाता है। आवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों/प्रावधानों के अनुसार फायर व्यवस्था स्थापित करने के उपरान्त जानकारी प्रदाय करने पर स्थल निरीक्षण उपरान्त अस्थायी फायर एनओसी प्रदाय करने पर विचार किया जावेगा और तदोपरान्त विधिवत अधिभोग उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी।

संलग्न-फायर फायटिंग प्लान एवं नक्शों का एक सेट।

(अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

  
 मुख्य अभियंता  
 नगरीय प्रशासन एवं विकास  
 म.प्र. भोपाल  
 भोपाल, दिनांक / / 2012

पृष्ठां. क्रमांक/यां.प्र./7/2012/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)।
2. पुलिस अधिक्षक, जिला इन्दौर (म.प्र.)।
3. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर (म.प्र.)।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर (म.प्र.)।

मुख्य अभियंता  
 नगरीय प्रशासन एवं विकास  
 म.प्र. भोपाल